Gurukul International Multidisciplinary Research Journal (GIMRJ)*with* International Impact Factor 8.249
Peer Reviewed Journal
https://doi.org/10.69758/GIMRJ/2410III02V12P0006

e-ISSN No. 2394-8426
Special Issue on Scientific Research
Issue–III(II), Volume–XII

खाप व्यवस्था: एक परिचय

शोधार्थी—अतेश कुमार

संक्षेप—

खाप एक समाज की प्रशासनिक इकाई के रूप में कार्य करती है। यह भारत के पश्चिमी उत्तर—प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान एवं मध्य—प्रदेशों में मुख्यत: ग्रामीण क्षेत्रों में अपना प्रभाव रखती है। खाप प्राचीन काल से चली आ रही एक सामाजिक व्यवस्था है, जिसका गठन सुरक्षा व गौत्र के आधार पर हुआ है। खाप व्यवस्था वर्तमान समय में प्रमुख रुप से जाटों की एक संस्था के रुप में कार्य कर रही है। प्राचीन समय में खाप व्यवस्था सभी जातियों में पायी जाती थी।

कीवर्ड—

खाप, सर्वखाप, पंचायत, मुख्या, गौत्र, गवांण्ड, सामाजिक प्रशासनिक इकाई।

खाप एक सामाजिक प्रशासन की पद्धति है जो भारत के उत्तर—पश्चिमी प्रदेशों या राजस्थान, हरियाणा, पंजाब एवं उत्तर—प्रदेश में अति प्राचीन काल से प्रचलित है। इसके अनुरूप अन्य प्रचलित संस्थाएं हैं, पाल, गण, गणसंघ, जनपद अथवा गणतंत्र समाज में सामाजिक व्यवस्थाओं को बनाये रखने के लिए मनमर्जी से काम करने वालों अथवा असामाजिक कार्य करने वालों को नियंत्रित किये जाने की आवश्यकता होती है। ऐसी पद्धति यदि न बनाई जाए तो स्थापित मान्यतायें, विश्वास, परम्पराएं और मर्यादाएं खत्म हो जायेंगी और जंगल राज स्थापित हो जायेगा, मनु ने समाज पर नियंत्रण के लिए एक व्यवस्था दी इस व्यवस्था में परिवार के मुखिया को सर्वोच्च न्यायाधीश के रूप में स्वीकार किया गया है। जिसकी सहायता से प्रबद्ध व्यक्तियों की एक पंचायत होती थी। जाट समाज में यह न्याय व्यवस्था आज भी प्रचलन में है। इसी आधार पर बाद में ग्राम पंचायत का जन्म हुआ। जब अनेक गाँव इक्ट्ठा होकर पारस्परिक लेन—देन का सम्बन्ध बना लेते हैं तथा एक—दूसरे के साथ सुख—दु:ख में साथ देने लगते हैं तब इन गाँवों को मिलाकर एक नया समुदाय जन्म लेता है जिसे ग्रामीण जाटों की भाषा में गवाण्ड़ कहा जाता है। यदि कोई मसला गाँव—समाज से न सुलझे तब स्थानीय चौधरी अथवा प्रबुद्ध व्यक्ति गवाण्ड़ को इक्ट्ठा कर उनके सामने उस मसले को रखा जाता है। प्रचलित भाषा में इसे गवाण्ड़ पंचायत कहा जाता है। गवाण्ड पंचायत में सभी सम्बंधित लोगों से पूछताछ कर गहन विचार—विमर्श के पश्चात समस्या का हल सुनाया जाता है जिसे सर्वसम्मति से मान लिया जाता है।[1] जब कोई समस्या जन्म लेती है तो सर्व प्रथम सम्बंधित परिवार ही सुलझाने का प्रयास करता है। यदि परिवार के मुखिया का फैसला नहीं माना जाता है तो इस समस्या को समुदाय और ग्राम समाज की पंचायत में लाया जाता है। दोषी व्यक्ति द्वारा पंचायत फैसला नहीं माने जाने पर ग्राम पंचायत उसका हुक्का—पानी बंद करने, गाँव समाज निकाला करने, लेन—देन पर रोक आदि का हुक्म करती है। यदि समस्या गोत्र से जुड़ी हो तो गोत्र पंचायत होती है जिसके माध्यम से दोषी को घेरा जाता है। सामाजिक न्याय व्यवस्था दोषी को एक नया जीवन देने का प्रयास करती है। लम्बे अनुभव के आधार पर हमारे पूर्वजों ने इस सामाजिक न्याय व्यवस्था को जन्म दिया है जिसके अनेक स्तर हैं। जब गोत्र और गवाण्ड़ की पंचायतें भी किसी समस्या का निदान नहीं कर पाती तो एक बड़े क्षेत्र के लोगों को इक्ट्ठा करने का प्रयास किया जाता है जिसमें अनेक गवाण्ड़ी क्षेत्र अनेक गोत्रीय क्षेत्र और करीब—करीब सभी हिन्दू जातियों के संगठन शामिल होते हैं। इस विस्तृत

क्षेत्र को खाप का नाम दिया जाता है। कहीं—कहीं इसे पाल के नाम से भी जाना जाता है। गवाण्ड़ी का क्षेत्र 5—7 कि० मी० तक अथवा पड़ौस के कुछ गिने चुने गांवों तक ही सीमित होता है। जबकि पाल या खाप का क्षेत्र असीमित होता है। हर खाप के गाँव निश्चित होते हैं, जैसे बड़वासनी बारह के 12 गाँव, कराला सत्र के 17 गाँव, चौहान खाप के 5 गाँव, तोमर खाप के 84 गाँव, दहिया चालीसा के 40 गाँव, पालम खाप के 365 गाँव, मीतरोल खाप के 24 गाँव आते हैं।[2]

खाप शब्द किस भाषा का शब्द है, यह ज्ञात न होने के कारण इसकी उत्पत्ति या शब्दार्थ भी अज्ञात है। अंग्रेजी में इसे प्राय क्लैन से संकेतिक किया जाता है। यह शब्द कुल या कुलीन शब्द का अपभ्रंश प्रतीत होता है। सिंध से पूरे भारतीय प्रदेश में बसे कबीले के विभाग आज भी खेल कहलाते हैं। यह शब्द भी कुल शब्द से ही सम्बन्धित प्रतीत होता है। इस क्षेत्र में पाल शब्द खाप का पर्यायवाची के तौर पर प्रयुक्त होता है। पाल शब्द का उद्भव तो स्पष्टत: संस्कृत से ही है।

खाप शब्द का विश्लेषण करें तो हम देखते हैं कि खाप दो शब्दों से मिलकर बना है। ये शब्द हैं 'ख' और 'आप' ख का अर्थ है आकाश और आप का अर्थ है जल अर्थात ऐसा संगठन जो आकाश की तरह सर्वोपरि हो और पानी की तरह स्वच्छ, निर्मल और सब के लिए उपलब्ध अर्थात न्यायकारी हो। अब खाप एक ऐसा संगठन माना जाता है जिसमें कुछ गाँव शामिल हों, कई गोत्र के लोग शामिल हों या एक ही गोत्र के लोग शामिल हों, इनका एक ही क्षेत्र में होना जरूरी नहीं है। एक खाप के गाँव दूर—दूर भी हो सकते हैं। बड़ीं खापों से निकल कर कई छोटी खापों ने भी जन्म लिया है। खाप के गाँव एक खाप से दूसरी खाप में जाने को स्वतंत्र होते हैं। इसी कारण समय के साथ खाप का स्वरूप बदलता रहा है। आज जाटों की करीब 3500 खाप अस्तित्व में हैं समय के चक्र के साथ काल बदलते गए युग बदलते गए, लेकिन ये खाप पंचायतें हर युग में देखने को मिलती रही। सतयुग से लेकर मुगल शासन और उसके बाद अंग्रेजों के शासन काल तक इन खाप पंचायतों के वजूद को कोई हिला ना सका। मुगल काल में समाज को एक स्वस्थ वातावरण देने के लिए इन पंचायतों का सहारा लिया जाने लगा क्योंकि उस समय हर व्यक्ति से राजा निजी तौर पर मिल कर समस्या हल नहीं कर सकते थे इसलिए ये खाप पंचायतें जरूरी हो गई। ये सब एक तरह की प्रशासन पद्धति के रूप में काम करने लगी और गाँव तथा प्रान्तों के छोटे बड़े फैसले यहीं पंचायते करने लगी इसके बदले इन्हें राजाओं से ऊँचे ओहदे तथा अन्य भेंट मिलने लगी। इनके द्वारा लिए गए हर फैसले को इनके अधीन आने वाले सभी गाँव तथा प्रान्तों को मानना जरूरी था।

लेकिन भारत कि आजादी के बाद से इन खाप पंचायतों कि ताकतों को देश के राजनीतिज्ञों ने भली—भांति भांप लिया और तब ये राजनीतिज्ञ इस बात को अच्छी तरह से समझ चुके थे कि पंचों द्वारा लिया गया कोई भी फैसला गाँव के हर व्यक्ति के लिए किसी पत्थर की लकीर के समान ही था और उस लकीर को मिटाने की हिम्मत किसी में भी ना थी और यही वजह रही की राजनीतिज्ञों द्वारा इन खाप पंचायतों का इस्तेमाल अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए किया जाने लगा और यहीं से ये खाप पंचायतें सियासी रूप लेने लगी जिनका लाभ राजनेताओं ने जम कर उठाया।

वर्तमान समय में भारतीय राजनीति के विकसित होते रूप के साथ—साथ इसके आन्तरिक ढाँचे को सँवारने एवं दृढ़ता देने का जो मुख्य काम किया गया। उसकी प्रतिध्वनि उत्तर भारत के ग्रामीण क्षेत्र में एक ऐसी प्रभावशाली शक्ति थी जिस पर ग्रामीण नागरिकों का विश्वास अभी भी बना हुआ है वह शब्द ''खाप'' है।

Gurukul International Multidisciplinary Research Journal (GIMRJ)*with* International Impact Factor 8.249
Peer Reviewed Journal
https://doi.org/10.69758/GIMRJ/2410III02V12P0006

e-ISSN No. 2394-8426
Special Issue on Scientific Research
Issue–III(II), Volume–XII

खाप शब्द की उत्पत्ति के सन्दर्भ में इतिहास में इसका अलग–अलग समय पर सामाजिक, राजनैतिक रूप देखने को मिलता है। सर्वखाप के मन्त्री पद पर रहे चौ॰ कबूल सिंह के अनुसार ''खाप'' शब्द का अर्थ संघ अथवा संगठन है।[3] मध्यकालीन भारतीय इतिहास के शुरुआत में दिखाई देता है जो उर्दू का शब्द जिसका अभिप्रयाय 'शाखा' शब्द से है, जिसका प्रयोग किसी जाति की विभिन्न शाखा रुपी गौत्रों को निरुपित करने के लिए किया जाता है।[4] एक अन्य मत के अनुसार खाप शब्द हिन्दी के खेप शब्द का बिगड़ा हुआ रूप है।[5]

श्री भीम सिंह दहिया के अनुसार खाप शब्द सम्भवत: स्त्रायी अथवा खत्रापी शब्द से निकला है, जिसका अर्थ एक ऐसे क्षेत्र जिसमें एक विशेष कुल के लोग रहते हैं।[6] सर्वखाप पंचायत कई खापों को मिलाकर बनी एक महापंचायत है। जब किसी दुष्कर समस्या को कोई खाप विशेष नहीं सुलझा पाती या जब समाज की अलग–अलग जातियों की सामूहिक समस्या उत्पन्न हो जाती है तो उस पर समाज को दिशा–निर्देश देने के लिए समय–समय सर्वखाप पंचायतों का आयोजन किया जाता रहा है।

जब मुसलमान भारत आए तो यहाँ के सामाजिक ताने–बाने को समाज की अनुमति के बिना बदलने की कोशिश की गई तो अलग–2 स्थानों पर खाप पंचायतों और सर्वखाप पंचायतों ने संगठित होकर उसका सामना किया है, फिर चाहे अंग्रेजों के खिलाफ हुए आन्दोलन हो या वर्तमान में कानूनों के द्वारा सामाजिक ढाँचे में बदलावों या संस्कृति संस्कारों के साथ छेड़छाड़ की गई हो, खाप पंचायतें अपने आरंभिक काल से ही अपनी सामाजिक, राजनीतिक जवाबदेही स्वीकार करती रही हैं।

खाप के पैरोकारों के अनुसार खाप का इतिहास अत्यधिक प्राचीन है। किसी रूप में यह संस्था महाभारत काल में भी मौजूद थी।[7] ऐसी भी मान्यता है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश की खाप एवं सर्वखाप पंचायतें शासन की गणतन्त्र व्यवस्था का विशेष संस्करण रही है।[8] माना जाता है कि भारत में गणतंत्र व्यवस्था प्राचीन काल से ही प्रचलित रही है। वैदिक काल में गणपरिषदें होती थीं तो महाभारत और बुद्ध काल में गणतंत्र व्यवस्था प्रचलन में थी। गुप्त–काल में यह संस्था काफी हद तक विखण्डित हो चुकी थी। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में इसका अस्तित्व बना रहा।[9] वैदिक काल में गण–परिषदों का अस्तित्व था। खाप पंचायतें गण परिषद का ही बदला हुआ रूप हैं[10] खाप–पंचायतों के गण–परिषदों और गण तंत्रों के बदले हुए रूप होने के दावों का सावधानीपूर्वक परीक्षण करने की आवश्यकता है। रोमिला थापर के अनुसार, एक ही कबीले के लोगों से मिलकर (जैर्स शाक्य, कोलिया, मल्लाह) अथवा कुछ कबीलों के संघ (जैसे वरीजी, यादव इत्यादि) से बनी गणतंत्र रूपी व्यवस्था का उद्भव उत्तर भारत में 600 ईसा पूर्व में हुआ। यह वैदिक युगीन कबीलों से प्रारम्भ हुई और शासन की निगमित व्यवस्था इस गणतंत्र की मुख्य शक्ति थी।[11] वैदिक ग्रन्थों में जन अर्थात् कबीलों की पहचान का मुख्य आधार उनकी पैदाइश किसी की पहचान के स्थापित करने की दिशा में जन एक मुख्य केंद्रीय संकेतक था[12]

प्रो॰ आर. एस. शर्मा का मत है कि ''विदाथा इंडो–आर्य मूल के लोगों की सबसे प्राचीन सभा थी जिसमें स्त्री–पुरुष बराबर शामिल होते थे। इन सभाओं की विषय–वस्तु में आर्थिक, सामरिक, धार्मिक और सामाजिक सभी प्रकार के विषय शामिल होते थे। ये सभाएं आदिम समाज की हर आवश्यकता को संबोधित करती थीं। वह समाज न तो श्रम के विभाजन से परिचित था और न ही स्त्री पर पुरुष की सत्ता से ही और संभवत: वह अपने उत्पादों को भी सभी में बांटता था।[13] प्रो॰ शर्मा के मतानुसार यही प्राचीन जन–संसद सभाओं और समितियों में बंटी थी, जो एक तरह से

कबीलाई—पंचायतें थीं। सभा का यह कबीलाई चित्र तब अस्तित्व में था जब कोई उन्नत वर्ग नहीं था अमीर और गरीब में कोई अधिक फर्क नहीं था। लेकिन ऋग्वेद का युग आते—आते यह ढाँचा चरमरा गया। इस काल में नए—नए वर्गों का उदय हुआ। इस काल में ऐसा वर्ग उभरा जिसके पास गायें, घोड़े और रथ थे वह वर्ग शासकों का था, जो कबीले से वंचित लोगों पर और निर्धन लोगों पर सत्तासीन था और इस शासित वर्ग को सभाओं में बैठने का अधिकार नहीं था। स्पष्ट तौर से सत्ता अभिजात वर्ग के पास थी। जिसके पास घोड़ों और रथों की संपदा होती थी वे ही लोग सभासद होते थे।[14] समिति यानि आम जन की सभा (जिसमें शुरुआती दौर में कबीले के लोग, कबीले के व्यावसायिक मामलों को देखते थे), ने ऋग्वैदिक काल का अंत होते—होते अथवा उसके बाद काफी महत्व हासिल कर लिया था। वैदिक काल के बाद के चरण में समिति मे दार्शनिक चर्चाएं होने लगीं और यह धार्मिक अनुष्ठानों और प्रार्थनाओं पर केंद्रित हो गईं।[15]

प्रो० आर. एस. शर्मा के मतानुसार वैदिक गण प्राथमिक तौर पर कबीलाई गणतंत्र थे—एक आदिम कबीलाई लोकतंत्र जिसमे आदिम मनुष्य के सामरिक वितरण संबंधी धार्मिक और सामाजिक क्रिया—कलाप समाहित थी[16]

मानव सभ्यता के विकास के प्रांभिक दौर में कबीलों का गठन हुआ। इन कबीलों के भारत में विभिन्न रूप थे जैसे विदाथा सभा, समिति, गण—परिषद इत्यादि अलग—अलग समय में अलग—अलग नाम से जाने जाने वाले वस्तुत: ये कबीलाई समाज ही थे। इस तरह के समाज न केवल भारत में अपितु जर्मनी, इटली, यूनान आदि देशों में भी अस्तित्व में थे। विश्व के कई हिस्सों में आज भी इनका अस्तित्व दिखाई देता है। खाप के पैरोकारों का कुछ समानताओं के बावजूद इन प्राचीन समाजों को खाप के प्राचीन रूप में प्रस्तुत करने का दावा तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता। दुर्भाग्यवश वे इस दावे को बिना किसी ठोस ऐतिहासिक प्रमाण के प्रस्तुत करते हैं।

उपर्युक्त प्राचीन कबीलाई समाजों में किसी साझी वंशावली अथवा विभिन्न प्रकार के वैवाहिक प्रतिबंधों के प्रमाण नहीं मिलते जैसे कि खाप पंचायतों द्वारा नियंत्रित समाज में मिलते हैं। अपितु प्राचीन समाज सामाजिक एवं शारीरिक संबंधों के मामले में कहीं ज्यादा उदार थे।

भारत में पंचायत व्यवस्था अत्यन्त प्राचीन है। सम्भवत: इतनी ही प्राचीन जितना भारत का इतिहास और संस्कृति तथा जितना यहाँ के ग्राम या बस्तियों।[17] वैदिक युगीन उपलब्ध रचनाओं से ज्ञात होता है कि परिवारों की सुरक्षा की दृष्टि से समाज में सामूहिकता की भावना का जन्म हुआ। ये समूह जन कहलाये, इसमें ग्राम अस्तित्व में आये। ग्राम नेता ग्रामणी कहलाये और जन नेता राजा। सामाजिकता के विकास के साथ—साथ समस्या और विवाद भी उठने स्वाभाविक थे। अत: इन समस्याओं और विवादों का निस्तारण करने के लिए ग्रामवार या समूहवार जन या ग्रामों के लोग इकट्ठे होने लगे, वह जनतंत्रीय थी[18] तो इस सम्मेलन को संग्राम पुकारा गया और इसमें व्यक्त सहमति या पारित प्रस्तावों के आधार पर सामुदायिक कार्य होने लगे इस प्रकार वैदिक युग में राज—काल चलाने का जो रुप विकसित हुआ, वह जनतंत्रीय था। वेद वाक्य विशस्ता सर्वा वांछन्तु जनता द्वारा राजा को चुने जाने का प्रमाण प्रस्तुत करता है। राजा की सहायता के लिए सभा या समिति नामक संस्थाओं का उल्लेख अथर्ववेद में आया है जो राज्य के विधि—विधान की सुत्रधार कही गयी।

परवर्ती वैदिक युग में संघ व्यवस्था का विकास हुआ इस व्यवस्था में किसी राजा का उल्लेख नहीं है, अपितु सब लोग मिलकर राज—व्यवस्था चलाते थे, तत्कालीन मानव समाज के कुछ वर्गों का

समान प्रतिनिधित्व देने के अभिप्राय से पंचजनीनया विशा अर्थात पंच जन वाली प्रजा का उल्लेख आया है, क्योंकि जिस प्रकार चारों वर्णों से एक–एक प्रतिनिधि लेकर पाँचवाँ प्रतिनिधि सबसे अधम कार्य करने वाले प्राणी वध जीवी (निषाद) वर्ग से यज्ञ में पंचजन के रुप में बुलाया जाता था ऐसा ही सम्भवता सभा में होता था। इस प्रकार पाँच प्रतिनिधित्व से ही पंचायत का विकास हुआ।[19]

ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध के समय के ग्रन्थों में गण राज्यों का उल्लेख मिलता है। महाजन पद युग में गण राज्यों और संघ राज्यों में ग्राम सभाओं का विकास हुआ और लोक कल्याण तथा न्याय कल्याण का उत्तरदायित्व इन्हीं ग्राम सभाओं ने सम्भाला।

इसके पश्चात मौर्य युग में तथा गुप्त कालीन भारत में गणतंत्रीय व्यवस्था के प्रबल रहते हुए भी गण राज्यों का यद्यति ह्रास हुआ, किन्तु प्रबन्ध व्यवस्था में कोई अन्तर नहीं आया। उत्तर–भारत में सल्तनत तथा मुगल काल की अराजकता और अव्यवस्था के दौरान जन समूह सुरक्षा हेतु संगठित हुए इन्हीं समूहों को खाप कहा जाने लगा।[20] पंचायत खापें भौगोलिक इकाई के रुप में विशेष रुप से सामने आयीं। खापों की स्वैच्छिक सेनाओं और उसके द्वारा लड़ाईयों में भाग लेने का वर्णन मिलता है। इस खाप संगठन के पीछे सुरक्षा की प्रेरणा तो थी ही, कुछ सामाजिक और सार्वजनिक समस्याओं को भी खाप के स्तर पर निपटाया जाने लगा।

खाप–पंचायत उत्तर भारत की ग्रामीण व्यवस्था की रीढ़ रही है यह वर्तमान दिल्ली, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर–प्रदेश, पंजाब और राजस्थान के बड़े भाग के निवासियों ने केवल कृषक जातियों, अपितु अन्य जातियों की भी परम्परागत सामाजिक–राजनैतिक प्रणाली रही है। जो रक्त सम्बन्धों के आधार पर संस्थापित संस्थाओं, यथा गोत्र, थोक, कुटुम्ब पर आधारित है।

खाप पंचायत की मूल भावना पंचायत कभी गलती नही करती पंचायत सदैव भ्रान्ति रहित है से प्रेरित खाप पंचायत के पंच के समक्ष आये मामलों का संचालन न्याय, समता और शुद्ध अन्तरात्मा से करते थे, जिससे वादी प्रतिवादी व्यक्ति या समुदाय उस निर्णय को मानने के लिए नैतिक रुप से स्वयं को बाध्य मानता और प्राय उसकी अवहेलना करने का साहस नहीं करता था इसके भय से व्यक्ति अपराध या असामाजिक कृत्य करने से बचता था। साथ ही इन पंचायतों में त्वरित, सर्व सुलभ और नि:शुल्क न्याय मिलता था।[21]

उत्तर–भारत में खाप पंचायत व्यवस्था अभी भी मौजूद है और गाहे–बगाहे चर्चा में रही है, हालांकि इसके उद्देश्य, कार्य पद्धति और प्रणाली में काफी अन्तर आ गया है। पंचायतों के नाम पर एकत्रित होकर कुछ व्यक्ति या समूह निजी स्वार्थ के लिए अविवेकपूर्ण कार्य भी करते हैं और इन पंचायतों के चरित्र को धूमिल करते हैं और इस कारण यह लगातार मीडिया व न्यायालयों के निशाने पर रही है। कुछ विद्वान मानते हैं जब भारत में मुस्लिम शासक स्थापित हो गए तो उसी दौरान खापों का भी एक पूर्ण विकसित समाज के रूप में उदय हुआ। कहा जाता है कि खापों ने विदेशी आक्रमणकारियों से रक्षा के लिए अपनी सेनाओं का गठन किया। विदेशी हमलों के दौरान इनकी सेनाएं भी हमलावरों से युद्ध करती थी। सर्वखाप की सभाओं में सर्वखाप के क्षेत्र को बचाने का निर्णय लिया जाता था और सभी खापों को इस निर्णय की सूचना दे दी जाती थी और सामुहिक सुरक्षा के लिए सभी खापें तद्नुसार कार्यवाही करती थी[22] सन् 1201 में सर्वखाप पंचायत की एक बैठक भाजू और भनेरा गांवों के बीच में स्थित जंगलों में हुई जिसमें 13 खापों ने भाग लिया। इस बैठक में चर्चा का विषय था–मुहम्मद गौरी के हाथों दिल्ली के राठौर चौहानों की पराजय के कारण उत्पन्न हालातों पर चर्चा करना तथा सुरक्षा को उत्पन्न खतरे का सामना करना इस बैठक में निर्णय किया गया कि

विभिन्न खापों की 60000 से 100000 तक के लोगों की एक सेना गठित की जाये ताकि मुहम्मद गौरी के संभावित हमले से सर्वखाप क्षेत्र की रक्षा की जा सके और साथ ही क्षेत्र को लूटपाट से भी बचाया जा सके[23] तत्पश्चात् कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा जजिया कर लगा देने और पंचायत बैठकों पर प्रतिबंध लगाने जैसे मुद्दों पर बड़ौत के निकट सर्वखाप की एक बैठक बुलाई गई थी। बगावत को कुचलने के लिए मुस्लिमों ने हमला किया तो सर्वखाप की सेना ने उनसे युद्ध किया। खापों की 90000 सैनिकों की सेना ने इस हमले को नाकाम कर दिया[24] ऐसा भी दावा किया जाता है कि खापों की सेना में औरतें भी शामिल थी। कहा जाता है कि सर्वखाप सेना ने तैमूर से भी युद्ध किया। इस युद्ध में 80000 पुरुष सैनिकों के साथ 40000 महिला सैनिक भी शामिल थी[25] किन्तु ये दावे यथेष्ट प्रमाणों के अभाव में प्रमाणिक प्रतीत नहीं होते हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1- ठाकुर देशराज, जाट इतिहास, महाराज सुरजमल स्मारक शिक्षा संस्थान दिल्ली 1934 पृ०—89
2- वही पृ०—89
3- कबूल सिंह, इतिहास सर्वखाप पंचायत पहला भाग अजय प्रिटिंग प्रेस मुजफ्फरनगर, 1976 पृष्ठ 2
4- सूरजभान भारद्वाज, पंचायत और गौत्र, उद्भावना, गाजियाबाद जनवरी 2011, पृष्ठ 12
5- चन्द्रभान श्योरण, हरियाणा में खाप पंचायत परम्परा, हरियाणा इनसाईक्लोपीडिया, भान 8 इतिहासखण्ड भाग 2 वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ 198
6- http://www.khappanchayats.comhistory.html
7- डॉ० सत्यवीर, क्या है सर्वखाप पंचायत, जाट महान रोहत, मई—2011 पृ०57
8- सुखवीर सिंह दलाल, हरियाणवी नारी जाट रतन रोहतक अप्रैल 2011 पृ०57
9- ओमप्रकाश देशवाल, खाप पंचायत, इट्स ओरिजिन एण्ड डेवपलपमेंट जाट रतन, रोहतक, जून 2010 पृ०20
10- महिपाल आर्य, सर्वखाप पंचायत और उसकी उपादेयता, जाट ज्योति, रामकृष्ण विहार, 29 आई. पी.एक्सटेंशन, दिल्ली मई 2010 पृ०11
11- रोमिला थापर, ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भाग एक, पंगुइन बुक्स 1984 पृ०50-51
12- रोमिला थापर (स) रिसेंट पेस्पेक्टिव ऑफ अर्ली इण्डियन हिस्ट्री, पॉपुलर प्रकाशन, बॉम्बे, 1995 पृ०95
13- आर. एस. शर्मा, आस्पेक्ट्स ऑफ पालिटिकल आइडियास एण्ड इंस्टीच्यूसंस ऑफ एन्शेंट इंडिया, मोतीलाल बनारसी दास, दिल्ली 1995 पृ०94-95
14- वही पृ०98
15- वही पृ०102-103
16- वही पृ०118
17- रघुवीर सिंह शास्त्री, भारत की प्राचीन पंचायत प्रणाली, ओरीजिनल्स प्रकाशन ए— पृ०6, नीमड़ी कामर्शियल सेंटर अशोक विहार फेज—4 दिल्ली—110052 पृ०1
18- वही पृ०1
19- वही पृ०12

20- वही पृ०12
21- वही पृ०13
22- एम.सी.प्रधान, दा पालिटिकल सिस्टम ऑफ दा जाट्स इन नॉर्दन इंडिया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1966 पृ०106
23- वही पृ०252
24- वही पृ०253
25- निहाल सिंह आर्य, सर्वखाप पंचायत का राष्ट्रीय पराक्रम, सैनी प्रिंटर्स पहाड़ी धीरज, दिल्ली,1992 पृ०113